

:: कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ::

प्रारूप -6

(नियम 78 के नीचे राजस्थान सरकार का विनिश्चय देखिए)

—: सेवानिवृत्ति आदेश :—

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक:—शिविरा/मा/संस्था/बी-2/45002/ सेवानिवृत्ति/ प्रधाना-उमावि/2021-22/ दिनांक 05.07.2021 द्वारा श्री गोपीराम भाम्बू तत्कालीन विकास अधिकारी पं.सं झुंझुनू वर्तमान सेवानिवृत्त अतिरिक्त जिशिअ(प्रधानाचार्य-उमावि समकक्ष) कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, चूरू (जन्मतिथि 23.12.1961, सेवानिवृत्ति तिथि 31.12.2021) के सेवानिवृत्ति आदेश प्रसारित किये गये थे। तत्समय इनके विरुद्ध सीसीए नियम-16 के अन्तर्गत कार्यवाही विचाराधीन थी। श्री गोपीराम भाम्बू के विरुद्ध जारी विचाराधीन विभागीय जांच प्रकरण आदेश दिनांक 14.03.2022 द्वारा समाप्त (DROP) हो चुका है।

अतः श्री गोपीराम भाम्बू सेवानिवृत्त अतिरिक्त जिशिअ(प्रधानाचार्य-उमावि समकक्ष), कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, चूरू के संबंध में यह प्रमाणित किया जाता है कि, इनके विरुद्ध आज दिनांक तक—

01. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
02. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
03. कोई न्यायिक कार्यवाहियों विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(काना राम)

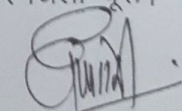
आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

सत्यमेव जयते

क्रमांक:—शिविरा-मा/संस्था/बी-2/45002/प्रधानाचार्य/सेवानिवृत्तियां/2021-22 दिनांक : 01/04/2022
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

01. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, संभाग मुख्यालय चूरू।
02. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय माध्यमिक, चूरू/झुंझुनू।
03. संबंधित संयुक्त-निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग।
04. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय बेबसाइट पर अपलोड करने के काम में।
05. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा चूरू/झुंझुनू।
06. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को पाबन्द किया जाता है कि विभागीय आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/वि0जांच/11350/जी-117/2020/41-42 दिनांक 14.03.2022 प्रदत्त निर्देशों की अक्षरशः पालना करते हुए वांछित कार्यवाही सुनिश्चित करावे अन्यथा आप स्वयं व्यक्तिशः रूप से उत्तरदायी रहेंगे।
07. श्री गोपीराम भाम्बू सेवानिवृत्ति अतिरिक्त जिशिअ, निवास तारानगर जिला चूरू।
08. रक्षित/निजी पत्रावली।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

:: कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ::

प्रारूप -6

(नियम 78 के नीचे राजस्थान सरकार का विनिश्चय देखिए)

-: सेवानिवृत्ति आदेश :-

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक:-शिविरा/मा/संस्था/बी-2/45002/सेवानिवृत्तियां/प्रधानाचार्य/2021-22/92-94 दिनांक 21.01.2021 द्वारा श्री चन्द्र प्रकाश सोहु (CHANDRA PRAKASH SOHU) सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, छावसरी, झुंझुनू (पूर्व पदस्थापन स्थान राउमावि बडगांव, जालौर) (जन्मतिथि 07.10.1961, सेवानिवृत्ति तिथि 31.10.2021) के सेवानिवृत्ति आदेश प्रसारित किये गये थे। तत्समय इनके विरुद्ध सीसीए नियम-16 के अन्तर्गत कार्यवाही विचाराधीन थी। श्री चन्द्र प्रकाश सोहु के विरुद्ध जारी विचाराधीन विभागीय जांच प्रकरण आदेश दिनांक 22.02.2022 द्वारा समाप्त (DROP) हो चुका है।

अतः श्री चन्द्र प्रकाश सोहु प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय छावसरी, झुंझुनू के संबंध में यह प्रमाणित किया जाता है कि, इनके विरुद्ध आज दिनांक तक-

- 01 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 02 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 03 कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(काना राम)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:: शिविरा-मा/संस्था/बी-2/45002/प्रधानाचार्य/सेवानिवृत्तियां/2021-22 दिनांक: 01.04.2022
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 01 संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, संभाग मुख्यालय पाली/चूरू।
- 02 मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय माध्यमिक, जालौर/झुंझुनू।
- 03 संबंधित संयुक्त-निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग।
- 04 सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के क्रम में।
- 05 जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा जालौर/झुंझुनू।
- 06 संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को पाबन्द किया जाता है कि विभागीय आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/वि0जांच/11619/सीन-059/2020/115-116 दिनांक 22.02.2022 प्रदत्त निर्देशों की अक्षरशः पालना करते हुए वांछित कार्यवाही सुनिश्चित करावे अन्यथा आप स्वयं व्यक्तिशः रूप से उत्तरदायी रहेंगे।
- 07 श्री चन्द्र प्रकाश सोहु, पूर्व प्रधानाचार्य राउमावि छावसरी जिला झुंझुनू हाल 3/7 हाउसिंग बोर्ड, चूरू रोड, झुंझुनू।
- 08 रक्षित/निजी पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)